239

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1499–एक / 2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22–03–2016 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागांव धसान जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 455 / बी–74 / 2015–16

1– राजेन्द्र तनय रामस्वरूप यादव
2– मुन्नालाल तनय अच्छेलाल
निवासीगण ग्राम बुडेरा तहसील व
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

––– अनावेदक

–––

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र शुक्ला शासन पैनल अधिवक्ता अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 29-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार बड़ागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–03–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता छिददू तनय श्री केशर मुहम्मद निवासी बुडेरा तहसील व जिला टीकमगढ द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में में प्रस्तुत किया कि प्र0 क0 8 / अ–6 अ / 2004–05 आदेश दिनांक 8.4.05 में ग्राम डोगरपुर

खसरा नंबर 390/6 रकवा 1.619 है0 म0प्र0 शासन दर्ज हो गई थी एवं ग्राम बुडेरा खसरा नंबर 2112/1 रकवा 1.574 है0 बिना सक्षम अधिकारी के राजेन्द्र तनय रामस्वरूप यादव निवासी बुडेरा के नाम दर्ज है फर्जी प्रविष्ट है, जो वर्ष 1994–95 से 1998–99 के खसरा में तत्कालीन पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के दर्ज हो गई है। पुनः म0 प्र0 शासन दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनावेदक को आहूत किया गया लेकिन सूचना उपरांत वह अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उक्त संबंध में हल्का पटवारी बुडेरा से प्रतिवेदन लिया गया उनके प्रतिवेदन में लेख है कि ग्राम डोगरपुर भूमि खसरा नंबर 390/6 है0 भूमि खसरा पंचशाला वर्ष 1993–94 से 1997–98 के आधार वर्ष में कन्नू तनय हल्के ढीमर का नाम शासकीय पटट्ेदार के रूप में दर्ज था जिसका अदला बदली में के स्थान पर ग्राम बुंडेरा भूमि खसरा नंबर 2038 में दी गई थी तथा खसरा पंचशाला वर्ष 1998–99 से 2002–03 के आधार पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर मुन्नालाल तनय अच्छेलाल के नाम फर्जी प्रवृष्टि दर्ज की गई जो वर्ष 2007–08 में 390/6 के खसरा के कॉलम नंबर 3 में किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर तत्कालीन पटवारी द्वारा मुन्नालाल के नाम कम्प्यूटर खसरा में दर्ज करवा दी गई जो गलत है जिसे पुनः म0प्र0 शासन चरोखर मद में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवेदन लिया गया।

ग्राम बुडेरा की भूमि खसरा नंबर 2112/1 रकवा 1.574 है0 भूमि की भू–अधिकार ऋण पुस्तिका की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो सूका तनय रमुवा वसोर के नाम दर्ज है इसके अलावा सूका द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये तथा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर राजेन्द्र तनय रामस्वरूप यादव निवासी ग्रामी का नाम फर्जी दर्ज किया गया तथा खसरा पंचशाला वर्ष 1994–95 से 1998–99 के आधार वर्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर राजेन्द्र तनय रामस्वरूप यादव निवासी ग्रामी का नाम फर्जी दर्ज किया गया तथा खसरा पंचशाला वर्ष 2004–05 से 2008–09 में म0प्र0 शासन पठार मद में दर्ज है इसके बाद कंप्यूटर खसरा वर्ष 2014–15 में पुनः राजेन्द्र तनय रामस्वरूप यादव निवासी ग्रामी के नाम दर्ज की गई है।

ग्राम डोगरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 390/6 रकवा 1.619 है0 भूमि फर्जी प्रविष्टि मुन्नालाल तनय अच्छेलाल यादव के स्थान पर म0प्र0 शासन चरोखर मद में तथा ग्राम बुडेरा

की भूमि खसरा नंबर 2112/1 रकवा 1.574 है0 भूमि राजेन्द्र तनय रामस्वरूप यादव के स्थान पर म0प्र0 शासन पठार मद में दर्ज किये जाने का निवेदन करने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा उपरोक्त भूमियां म0प्र0 शासन दर्ज करने का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ को भेजा उनके द्वारा दिनांक 28.3.2016 को पटवारी को नोटिस भेजकर दिनांक 18.7.2016 को तत्कालीन हल्का पटवारी श्री रूपलाल सौर द्वारा अपना जबाव में कहा कि मुन्नालाल एवं राजेन्द्र यादव का नाम पूर्व से खसरा में दर्ज था उसके द्वारा न तो कंप्यूटर में दर्ज किया गया है और न ही खसरा में ऐन्ट्री की गई है । पटवारी के जबाव से संतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया नोटिस खारिज किया गया था तथा भूमि म0प्र0 शासन में दर्ज करने का आदेश दिया गया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें बिना सूचना दिये अतिरिक्त तहसीलदार बडागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना तथा विवादित भूमि शासकीय घोषित करना गलत है, इसलिये उक्त आदेश दिनांक 22.03.2016 निरस्त किया जावे। आवेदक 20 वर्ष से अधिक समय से अपनी उक्त भूमि पर विधिपूर्वक अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया है किन्तु अतिरिक्त तहसीलदार बडागांव धसान ने आवेदकगण को बिना सूचना दिये दिनांक 22.3.2016 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त करने का निवेदन किया गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नितांत अबैध एवं अनुचित होने से अपास्त किया जावे। अपने तर्क में आगे निवेदन किया गया है कि नायब तहसीलदार बडागांव धसान का आदेश दिनांक 22.03.16 एवं अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 28.3.2016 निरस्त किया जाकर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने उनके द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है । अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध प्रकरण में अभिलेख का अध्ययन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से तथा उसमें संलग्न खसरा की प्रतियों का अवलोकन किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य पर बल दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक को बिना सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है जबकि डोंगरपुर की भूमि खसरा नंबर 390/6 रकवा 1.619 है0 भूमि सुजारा बांध में डूब क्षेत्र में भी चली गई है और उसके मुआवजे का चैक भी बनाया जा चुका है, परन्तु नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजने से उसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश दिये जाने से आवेदकगण मुन्नालाल यादव को उसका चैक भुगतान नहीं किया गया और बुडेरा की भूमि खसरा नंबर 2112/1 रकवा 1.574 है0 को आवेदक राजेन्द्र के स्थान पर म0प्र0 शासन दर्ज कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है क्यों कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 में 180 दिन के बाद कोई प्रकरण स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता और न ही अनुविभागीय अधिकारी को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एक शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार बडागांव धसान के द्वारा बिना किसी ठोस साक्ष्य सबूत के प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमियां म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने हेतु भेजा गया किन्तु यह प्रतिवेदन किस धारा या अधिनियम के तहत भेजा गया इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भी बिना नियमों का हवाला दिये उक्त आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र देते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया, किसी भी प्रकरण को स्वप्रेरणा से भी 180 दिवस के बाद ग्राह्य नहीं किया जा सकता चाहे उसमें शासन का हित ही निहित क्यों न हो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अतिरिक्त तहसीलदार बडागांव धसान का आदेश दिनांक 22.3.2016 व अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ का आलोच्य आदेश दिनांक 28.3.16 एवं 18.7.2016 विधि प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत खसरा सत्यप्रतिलिपि व ग्राम डोंगरपुर की नामांतरण पंजी कमांक 54 एवं ग्राम बुडेरा की नामांतरण पंजी कमांक 32 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमियों का विधिवत 02.10.1984 के तहत भूमिस्वामी घोषित किया गया है, और ऐसे

प्रकरण में यदि किसी को कोई आपत्ति होती तो उसे विधिवत सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करना चाहिये थी।

6–अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार बडागांव धसान का प्रतिवेदन दिनांक 22.3.16 एवं अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ का आदेश दिनांक 28.3.16 एवं 18.7.16 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता हे कि ग्राम बुडेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 2112/1 रकवा 1.574 है0 पर आवेदक कमांक 1 राजेन्द्र यादव पिता रामस्वरूप यादव ग्राम डोंगरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 390/6 रकवा 1.619 है0 यथावत भूमि स्वामी दर्ज किया जावे। आवेदकगण की उपरोक्त भूमि में से यदि भू–अर्जन में अधिग्रहीत की गई है तब उन्हें मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर